201

5 रु COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

श्रीमान ~~आयुक्त महोदय~~, म. प्र. राजस्व मण्डल केम्प ग्वालियर
उज्जैन।

R-1065-I/12

कमजी पिता पूंजा भील उम्र 65 वर्ष
धन्धा खेती निवासी ग्राम बिलड़ी
तहसील बाजना जिला रतलाम ——प्रार्थी

विरूद्ध

1. अर्जुन पिता भलजी भील
2. प्रभु पिता भलजी भील
3. भरत पिता भलजी भील
4. सवलीबाई बैवा भलजी भील
5. कलजी पिता होमजी भील

समस्त निवासीयान ग्राम बिलड़ी
तहसील बाजना जिला रतलाम ——प्रतिप्रार्थीगण

5 रु COURT FEE भारत INDIA Rs.5

पुनरिक्षण अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.

पुनरिक्षण बनाराजगी आदेश श्रीमान अतिरिक्त कलेक्टर महोदय रतलाम श्रीमान अमरसिंह जी बघेल साहब के द्वारा प्रकरण क्र 5/निगरानी/11–12 दिनांक 6–3–12 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत है उक्त पुनरिक्षण मुल न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय बाजना के प्रकरण क्र. 2–अ 70/08–09 आदेश दिनांक 22.9.11 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया था

महोदय,

पुनरिक्षण प्रार्थी की और से विरूद्ध प्रतिप्रार्थीगण निम्नानुसार प्रस्तुत है :

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :

3 यह है कि प्रतिप्रार्थीगण/प्रार्थीगण की ओर से न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय बाजना के समक्ष एक आवेदन पत्र कब्जा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1065-एक/12 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	